उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1155– विनियम एवं का०वि०नी०–29/पाकालि /24–01–विनियम/2024   दिनांक 12 दिसम्बर, 2024

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्मिकों की त्यागपत्र विनियमावली–2024

कम्पनी अधिनियम–2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल–47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 05.11.2024 को सम्पन्न 207(8)वी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्मिकों की त्यागपत्र विनियमावली–2024 निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है :–

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ

1. (i) यह विनियमावली "उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्मिकों की त्यागपत्र विनियमावली–2024" कही जायेगी।
(ii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

विनियमावली का लागू होना

2. यह विनियमावली उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों (डिस्काम एवं केस्को) में कार्यरत पूर्णकालिक समस्त स्थायी एवं अस्थायी कार्मिकों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

3. इस विनियमावली के उपबंध कारपोरेशन में निदेशक मण्डल द्वारा "कम्पनी एक्ट–2013" के सेक्शन 179 तथा कम्पनी एक्ट के मेमोरैन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन में प्राप्त अधिकारों के तहत बनाये गये हैं। इस निमित्त जारी किये गये अन्य विनियम या कार्यपालक आदेश, यदि कोई हों, में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह विनियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

4. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली में,
(i) एक्ट का आशय 'दि कम्पनीज एक्ट 2013' से है।
(ii) किसी कार्मिक के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा विनियमावली के अधीन सेवा में नियुक्तियाँ करने हेतु सशक्त सक्षम प्राधिकारी से है।
(iii) 'निदेशक मण्डल' का आशय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल से है।
(iv) 'कारपोरेशन' का आशय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से है।
(v) सहयोगी कम्पनी (डिस्काम एवं केस्को) का आशय मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड–लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड–वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड–मेरठ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड–आगरा, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड–कानपुर तथा उ0प्र0 रिनिवेबल एण्ड ई0वी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (U.P.R.E.V) (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की पूर्ण स्वामित्व सहायक कम्पनी है, जिसको उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में दिनांक 27.05.2024 को सम्मिलित किया गया है) से है।
(vi) 'कार्मिक' का तात्पर्य, कारपोरेशन अथवा सहयोगी वितरण कम्पनियों के सेवा संवर्ग में किसी पद पर, संगत सेवा विनियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्ति से है।

(vii) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और उस सेवा से सम्बन्धित सेवा विनियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।

त्यागपत्र की सूचना

5. (i) कारपोरेशन का कोई भी कार्मिक लिखित रूप में 03 माह की सूचना देकर अपनी सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकता है।

(ii) त्यागपत्र की सूचना –

(एक) स्वैच्छिक और बिना शर्त होगी।
(दो) प्राधिकारी जिसके अधीन उक्त कार्मिक त्यागपत्र देने के समय कार्य कर रहा हो, को सूचित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित की जायेगी।

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी किसी कार्मिक को बिना किसी सूचना के या किसी अल्प सूचना के पद त्यागने की अनुमति देने के लिये स्वतन्त्र होगा।

त्यागपत्र सूचना हेतु अवधि

6. (i) कारपोरेशन/सहयोगी कम्पनी का स्थायी घोषित किया जा चुका कार्मिक तीन माह की नोटिस देकर त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा की स्थिति में तीन माह अथवा अवशेष अवधि के वेतन एवं भत्ते के समतुल्य धनराशि जमा करायी जायेगी।

(ii) कारपोरेशन/सहयोगी कम्पनी के अस्थायी कार्मिक एक माह की नोटिस देकर त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा की स्थिति में एक माह अथवा अवशेष अवधि के वेतन एवं भत्ते की धनराशि जमा करायी जायेगी।

त्यागपत्र का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना

7. (i) नियुक्ति प्राधिकारी (Either on his own or on the request of the employee without any compensation /अर्थदण्ड) 03 माह के पूर्व भी किसी तिथि से त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है।

(ii) कारपोरेशन/सहयोगी कम्पनी के कार्मिक का त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और उसके औपचारिक आदेश जारी नहीं किये जाते हैं। नियुक्त प्राधिकारी स्वविवेकानुसार त्यागपत्र स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है यदि –

(एक) कार्मिक कारपोरेशन के प्रति किसी धनराशि का देनदार हो और/या कोई अन्य दायित्व हों तो जब तक कि देय धनराशि का भुगतान न कर दिया जाये या दायित्व का निर्वहन न किया गया हो।

या

(दो) कारपोरेशन कार्मिक निलम्बित हो,

या

(तीन) उसके विरूद्ध कोई जॉच अनुध्यात या लम्बित हो,

या

(चार) आपराधिक आरोप से सम्बन्धित अन्वेषण, जाँच या परीक्षण लम्बित हो और ऐसा आरोप कारपोरेशन कार्मिक के रूप में उसकी प्रशासकीय स्थिति से सम्बन्धित हो।

(iii) नियुक्ति प्राधिकारी यथा सम्भव विनियम–6 के अधीन सूचना की अवधि के अवसान के पूर्व त्यागपत्र की प्रार्थना पर विनिश्चय करेगा।

सेवा समाप्ति

8. कारपोरेशन कार्मिक की सेवायें उसके त्यागपत्र स्वीकृति के आदेश के जारी होने के दिनांक से या ऐसे भविष्यवर्ती दिनांक से जैसा उसमें उल्लिखित किया जाये, से समाप्त हो जायेंगी।

धारणाधिकार

9. विनियमावली के विनियम–8 के अधीन कार्मिक की सेवा समाप्ति की दिनांक से कारपोरेशन में धारणाधिकार (Lien) समाप्त माना जायेगा।

त्यागपत्र का वापस लेना

10. विनियम–8 के सन्दर्भ में पत्रावली पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व (Before it is approved on file by competent authority) आवेदनकर्ता कार्मिक लिखित रूप में निवेदन के माध्यम से त्यागपत्र वापस ले सकता है।

शिथिलता

11.(i) कारपोरेशन अथवा सहयोगी कम्पनियों में, किसी सेवा संवर्ग में नियुक्त कार्मिक की, कारपोरेशन/अन्य Subsidiary कम्पनी/ एस0एल0डी0सी0/उ0प्र0रा0 विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 रिनिवेबल एण्ड ई0वी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (U.P.R.E.V) के अधीन, जैसा भी हो, में किसी सेवा संवर्ग अथवा उसी संवर्ग में नवनियुक्ति होने पर इस विनियमावली के नोटिस अवधि अथवा अर्थदण्ड सम्बन्धी (विनियम–6) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

(ii) यदि किसी कार्मिक के प्रकरण में नियुक्ति के समय लागू विनियम अथवा निर्धारित शर्तें प्रभावी होते हैं, तो उसका निस्तारण इस प्रकार से किया जायेगा, जो तत्समय लागू विनियमावली की व्यवस्था से कम लाभप्रद न हो।

(iii) किसी त्यागपत्र के मामले का निस्तारण, जो इस विनियम के निर्गमन से पूर्व किये गये हो, यह माना जायेगा कि उक्त मामले इस विनियमावली से आच्छादित नहीं हैं।

सेवा अनुबन्ध पत्र एवं बाण्ड मनी

12. (i) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त संवर्गों की सेवाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित निर्धारित सेवा शर्तों में बाण्ड मनी जमा करने हेतु निष्पादित किये जाने वाले "सेवा अनुबन्ध पत्र" (*परिशिष्ट–'अ'*) के अनुसार जमा की जाने वाली बाण्ड मनी की धनराशि निम्नवत् निर्धारित है :–

कम सं0	**सीधी भर्ती के पद का ग्रेड–वेतन/ (सातवें वेतन आयोग का पे–मैट्रिक्स लेवल)**	**निर्धारित बॉण्ड मनी**
1	ग्रेड–पे रू0 2600/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–4)	रू0 75,000/–
2	ग्रेड–पे रू0 3000/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–5)	रू0 75,000/–
3	ग्रेड–पे रू0 4200/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–6)	रू0 1,00,000/–
4	ग्रेड–पे रू0 4600/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–7)	रू0 1,50,000/–
5	ग्रेड–पे रू0 4800/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–8)	रू0 1,50,000/–
6	ग्रेड–पे रू0 5400/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–10)	रू0 2,00,000/–
7	ग्रेड–पे रू0 8700/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–12)	रू0 3,00,000/–
8	ग्रेड–पे रू0 8900/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–13)	रू0 3,00,000/–
9	ग्रेड–पे रू0 10000/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–14)	रू0 4,00,000/–
10	(पे–मैट्रिक्स लेवल–15)	रू0 5,00,000/–

(ii) कारपोरेशन के दिशा निर्देश सं0–198/ का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2022, दिनांक 18.05.2022 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त बाण्ड मनी की कार्मिक से वसूली जाने वाली राशि पर जी0एस0टी0 भारित नहीं किया जायेगा।

(iii) सीधी भर्ती के प्रारम्भिक पदों पर, चयनित होने के उपरान्त समस्त कार्मिकों को 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एवं तत्पश्चात 11 माह की अवधि के ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् अग्रेतर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सहित अर्थात कुल 03 वर्ष के पूर्व कार्मिक द्वारा त्यागपत्र देने पर निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अनुसार निर्धारित बॉण्ड मनी कारपोरेशन के खाते में जमा करनी होगी।

(iv) प्रशिक्षण अवधि यथा आवश्यक होने पर बढ़ायी भी जा सकती है।

(v) संगत विनियमों में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक होने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(vi) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व, ऐसे कार्मिक जिनका बाण्डमनी हेतु बन्ध पत्र जमा है, के उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ एस0एल0डी0सी0/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत अन्य Subsidiary कम्पनी/ राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 रिनिवेबल एण्ड ई0वी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (U.P.R.E.V) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से किसी अन्य पद पर पुनः नवीन चयन/नियुक्ति होने तथा कारपोरेशन से त्याग पत्र उपरान्त नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में कार्मिक द्वारा पूर्व बन्धित बॉण्ड मनी के स्थान पर नवीन पद के सापेक्ष बॉण्ड मनी की निर्धारित धनराशि हेतु, कारपोरेशन आदेश सं0–467–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2024–04–काविनी/2020 दिनांक 01.05.2024 में आदेशित व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुये, उसे विनियम 12 (i एवं iii) के अनुसार सेवा अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्र/राज्य के आयोग अथवा अन्य संस्थान के माध्यम् से चयन/नियुक्ति हेतु त्यागपत्र देने पर निर्धारित बाण्डमनी जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(vii) यदि कारपोरेशन अथवा सहयोगी वितरण कम्पनियों के किसी कॉमन एवं नॉन कॉमन कैडर के कार्मिक द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में सेवा अनुबन्ध के अनुसार कारपोरेशन के पक्ष में दिये जाने वाले डिमान्ड ड्राफ्ट को डिस्कॉम/इकाई के सक्षम प्राधिकारी सीधे कारपोरेशन के लेखा इकाई के अन्तर्गत केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(viii) केन्द्रीय लेखा भुगतान प्रकोष्ठ का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह कारपोरेशन के पक्ष में दिये जाने वाले डिमान्ड ड्राफ्ट को कारपोरेशन के खाते में जमा करायें एवं बाण्ड मनी प्राप्त हो जाने की सूचना सक्षम प्राधिकारी के साथ ही सम्बन्धित कार्मिक को देगा, जिसके उपरान्त ही त्याग पत्र स्वीकृति के आदेश निर्गत किये जायेगें।

(ix) यदि कोई कार्मिक बॉण्ड–मनी की धनराशि ऑनलाईन द्वारा जमा करना चाहता है, तो वह सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सीधे कारपोरेशन के लेखा इकाई के अन्तर्गत केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के खाते में जमा कर सकता है।

विरोधाभास की स्थिति में अन्तिम निर्णय

13. इस विनियमावली के किसी विनियम, उप विनियम या प्रस्तर की व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी संशय या विरोधाभास की स्थिति में अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रदत्त निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

संख्या : – 1155 (1)/विनियम एवं काविनी/पाकालि/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, समस्त विद्युत वितरण निगम एवं केस्कों एवं यू0पी0आर0ई0वी0 के निजी सचिव।

5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को निदेशक मण्डल की मद सं0 207(8) में प्राप्त निर्णय के अनुपालन की सूचना सहित प्रेषित।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(प्रभात सहगल)
उप सचिव (काविनीं एवं विनियम)

परिशिष्ट–'अ'

(विनियम–12 देंखे)

'सेवा अनुबन्ध–पत्र'

इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू (Guarantor), जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं) को रू0 100/– मूल्य के नॉन–जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर 01 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम 02 वर्षो तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करना होगा। 01 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 02 (दो) वर्षो की सेवा अवधि में (कुल 03 वर्ष) से पूर्व कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से बाण्ड मनी रू0 ....की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगें।

बन्ध पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश

प्रतिभूति बन्ध :–

1. बन्ध पत्र रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए यदि रू0 100/– के स्टाम्प पेपर 01 पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हो तो, ऐसी दशा में 2 या 3 (शीट्स) जो कम मूल्य के हो परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 100/– हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
2. .... और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने (शीट्स) सहित, यदि कोई हो, बन्ध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
3. बन्ध पत्र पर किसी प्रकार की काट–छांट, परिवर्तन अथवा पुर्नलेखन इत्यादि होने पर, प्रत्येक ऐसे स्थान पर .... एवं प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए।
4. प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता व पद नाम का उल्लेख, उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए।
5. वह दिनांक, जब बन्ध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात् बन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय .... को ही स्वयं वहन करना होगा।
6. बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा .... एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए।
7. .... तथा प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए।
8. प्रतिभू उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रू0 ....के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए।

(कार्मिक द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

बन्ध–पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री ....पुत्र/पुत्री श्री .... अस्थायी .... जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के नियुक्ति पत्र सं0–.. दिनांक ....में वर्णित शर्तो के अधीन सेवा कर रहे हैं। (एतद्पश्चात् "........................." कहलायेंगे)

एवं

श्री .... पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी ....(एतद्पश्चात् "प्रतिभू" कहलायेंगे) एतद्द्वारा आबद्ध होते है कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से,) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को (एतद्पश्चात् "कारपोरेशन" कहलायेंगे) मांगे जाने पर रू0 .... मात्र देने के बन्ध पत्रित होंगे।

दिनांक .... मास .... वर्ष......

हस्ताक्षरित

कार्मिक के हस्ताक्षर

प्रतिभू के हस्ताक्षर

यतः कारपोरेशन ने .... को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार अस्थायी ....के रूप में नियुक्त किया है।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वस्त करने के आशय से कि .... स्वयं अपनी ओर से कारपोरेशन की सेवाओं को .... के संवर्ग में नियुक्ति के दिनांक से 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) तक नहीं छोड़ेगा, ... यह बन्ध पत्र निष्पादित करता है। अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि .... अपने 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) से पूर्व कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की पूर्व अनुमति लिये बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस दशा में ....और/अथवा प्रतिभू कारपोरेशन के मांगे जाने पर बन्ध–पत्र में वर्णित धनराशि का अविलम्ब भुगतान करेंगे तथा उसके (..............) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्ध होगा कि यदि कारपोरेशन, ... की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तो के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

साक्षी : **हस्ताक्षरित**

1. ....**(नाम एवं हस्ताक्षर)** **अभ्यर्थी**.............................
2. ....**(नाम एवं हस्ताक्षर)** **प्रतिभू** ....